झारखण्ड सरकार
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

पत्रांकः– रा0खा0आ0 (शि0) देवघर / PDS–29 / 2022– 359
प्रेषक,

हिमांशु शेखर चौधरी
अध्यक्ष,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

सेवा में,

सचिव
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग,
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांकः– 25.05.2023

विषयः– **मो0 यासिन अंसारी वगै0 के परिवाद–पत्र पर सुनवाई के क्रम में स्पष्ट हुए देवघर जिला के NFSA के गेहूँ के कालाबाजारी पर कानूनी कार्रवाई करने के सम्बन्ध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि मो0 यासिन अंसारी वगै0 का परिवाद–पत्र आयोग को प्राप्त हुआ। परिवाद–पत्र माननीय मुख्यमंत्री, माननीय मंत्री, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग तथा विभागीय सचिव को भी संबोधित था। परिवादी द्वारा जिला के JSFC के कर्मियों एवं DSO से मिलीभगत कर बगैर अनाज की आपूर्ति किए 10000.00 (दस हजार) क्वींटल PDS दुकानों के Epos मशीन में upload कराने का आरोप लगाया गया। परिवाद–पत्र में उल्लेखित आरोप की गम्भीरता को देखते हुए आयोग के पत्रांक–158 दिनांक–27.02.2023 द्वारा परिवाद–पत्र पर कार्रवाई हेतु विभाग को प्रेषित करते हुए आयोग स्तर पर सुनवाई का निर्णय लिया गया।

सुनवाई के क्रम में DSO देवघर के पत्रांक–908 दिनांक–15.04.2023 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। सुनवाई के दौरान DSO, देवघर ने FCI द्वारा आवश्यकता से कम अनाज उपलब्ध कराने के कारण डीलर को कम अनाज की आपूर्ति करने की बात कही। परिवादी मरगोमुण्डा के हैं एवं उसमें से कई मरगोमुण्डा के डीलर हैं। संभवतः इस कारण DSO ने अपने प्रतिवेदन में मात्र मरगोमुण्डा के 61 डीलरों में से मात्र 13 डीलर को ही गेहूँ उपलब्ध कराने का उल्लेख किया गया एवं प्रतिवेदन के साथ मरगोमुण्डा प्रखण्ड के डीलरों को JSFC गोदाम से निर्गत चालान की प्रति संलग्न किया गया। प्रतिवेदन में पूरे जिला की स्थिति का उल्लेख नहीं किया।

DSO के पत्रांक–908 दिनांक–15.04.2023 में उल्लेखित है कि दिसम्बर, 2022 में NFSA मद में जिला देवघर के लिए 60712.89 क्वींटल अनाज की आवश्यकता के विरूद्ध FCI द्वारा मात्र 53016.12 क्वींटल अनाज उपलब्ध कराया गया। अर्थात् DSO के प्रतिवेदन के अनुसार FCI द्वारा दिसम्बर, 2022 के NFSA मद में 60712.89 – 53016.12 = 7696.77 क्वींटल कम अनाज उपलब्ध कराया गया।

DSO के पत्र के साथ संलग्न MD JSFC के ज्ञापांक–3975 दिनांक–08.10.2022 के अनुसार NFSA दिसम्बर, 2022 के लिए PHH Rice 44407.59, AAY Rice 4211.00, PHH Wheat 11101.44 एवं AAY Wheat 992.95 क्वींटल का आवंटन आदेश निर्गत है, जो कुल–60712.89 क्वींटल होता है। पत्र के साथ संलग्न NFSA FCI के दिसम्बर, 2022 के विपत्र में PHH Rice

पता–झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड के पुराने भवन का द्वितीय तल, हरमू हाउसिंग कॉलोनी, राँची–834002
email-jharfoodcommission@gmail.com, Ph. No:-06512252267/2252261
Website:-www.jharkhandsfc.in

44407.44 एवं AAY Rice 4211.06 क्वींटल अंकित है, जो MD JSFC के आवंटन आदेश की कुल मात्रा के अनुरूप है। परन्तु FCI द्वारा AAY Wheat के चार विपत्र में कुल मात्रा 4397.62 क्वींटल है। DSO द्वारा समर्पित प्रतिवेदन में इन विपत्रों में अंकित मात्रा के अनाज की ही आपूर्ति किए जाने का उल्लेख किया गया है। DSO देवघर द्वारा FCI के विपत्र को आधार बनाकर 7696.7684 क्वींटल कम गेहूँ प्राप्त होने के कारण दिसम्बर, 2022 के लिए NFSA में बहुत सारे डीलर को गेहूँ नहीं उपलब्ध कराने का उल्लेख किया गया है। परन्तु DSO के पत्र में संलग्न FCI के पत्र दिनांक–12.10.2022 से स्पष्ट है कि PMGKAY के सितम्बर, 2022 के लिए आवश्यकता से 7696.7684 क्वींटल अधिक गेहूँ का उठाव JSFC द्वारा किया गया था एवं Excess lifting को adjust करते हुए FCI द्वारा RO निर्गत किया गया। इससे स्पष्ट है कि NFSA दिसम्बर, 2022 के लिए आवश्यक चावल के साथ–साथ गेहूँ की भी आवश्यक मात्रा FCI से JSFC देवघर को प्राप्त हुआ था, जिसे DSO द्वारा नहीं बताया गया।

आहार पोर्टल पर देवघर जिला के डीलर को JSFC गोदाम से Dispatch एवं Distribution को देखा गया। जिला के जनवितरण प्रणाली दुकानदारों को JSFC गोदाम से गेहूँ Dispatch करने का उल्लेख तो है, किन्तु गेहूँ का वितरण काफी कम है। DSO द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि मरगोमुण्डा प्रखण्ड के 61 डीलर में से मात्र 13 डीलर को ही दिसम्बर, 2022 के NFSA का गेहूँ उपलब्ध कराया गया। पत्र के साथ संलग्न चालान से भी स्पष्ट है कि मरगोमुण्डा प्रखण्ड के मात्र 13 डीलर को गेहूँ उपलब्ध कराया गया है। परन्तु सभी 61 डीलर के विरूद्ध JSFC गोदाम से गेहूँ Dispatch करने का data आहार पोर्टल पर उपलब्ध है। इससे परिवादी के इस आरोप की पुष्टि होती है कि डीलर को गेहूँ उपलब्ध कराए जाने का छलपूर्वक Online entry किया गया है। DSO के प्रतिवेदन एवं उपलब्ध कागजातों से JSFC, देवघर जिला के गोदाम प्रभारियों के साथ–साथ DSO–सह–DM, JSFC की भी भूमिका आपराधिक प्रतीत होता है। DSO द्वारा FCI से सितम्बर, 2022 के लिए PMGKAY के 7696.77 क्वींटल excess उठाव के adjustment के कारण अवशेष मात्रा का ही गेहूँ का FCI द्वारा RO निर्गत करने के तथ्य को छुपाया गया और FCI से कम अनाज मिलने का उल्लेख करते हुए बड़े स्तर पर हुए कालाबाजारी मामले की लीपापोती करने का प्रयास किया गया।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों की स्थिति निम्नवत् है :–

1. MD, JSFC के ज्ञापांक–3975 दिनांक–08.10.2022 से NFSA के दिसम्बर, 2022 के लिए FCI को 44407.59 + 4211.0 = 48618.59 क्वींटल चावल एवं 11101.44 + 992.95 = 12094.39 क्वींटल गेहूँ उपलब्ध कराने का आदेश निर्गत हुआ।
2. FCI के दिनांक–12.10.2022 के पत्र के द्वारा सितम्बर, 2022 के PMGKAY मद में JSFC द्वारा आवश्यकता से 360.00 + 5929.28 + 1407.48 = 7696.7684 क्वींटल अधिक उठाव किए गए गेहूँ को adjust करते हुए RO निर्गत किया गया।
3. DSO द्वारा अपने पत्र में NFSA दिसम्बर, 2022 के लिए आवश्यक 60712.89 क्वींटल के स्थान पर FCI द्वारा मात्र 53016.12 क्वींटल अनाज उपलब्ध कराने का उल्लेख किया गया। DSO द्वारा FCI के दिनांक–12.10.2022 के पत्रों में उल्लेखित तथ्यों को छुपाते हुए आयोग को भ्रमित करने का प्रयास किया गया।
4. DSO द्वारा आवश्यकता से कम गेहूँ प्राप्त होने का उल्लेख करते हुए मरगोमुण्डा प्रखण्ड के 61 डीलर में से मात्र 13 डीलर को गेहूँ उपलब्ध कराया गया।

पता–झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड के पुराने भवन का द्वितीय तल, हरमू हाउसिंग कॉलोनी, राँची–834002
email-jharfoodcommission@gmail.com, Ph. No:-06512252267/2252261
Website:-www.jharkhandsfc.in

5. DSO द्वारा मरगोमुण्डा प्रखण्ड के डीलर को अनाज भेजे जाने का DSD का चालान उपलब्ध कराया गया। चालान से स्पष्ट है कि मरगोमुण्डा प्रखण्ड के 61 में से मात्र 13 डीलर को दिसम्बर, 2022 का चावल एवं गेहूँ उपलब्ध कराया गया है, जबकि शेष 48 डीलर को मात्र चावल भेजा गया है।
6. आहार पोर्टल पर JSFC गोदाम से डीलर को dispatch data में मरगोमुण्डा प्रखण्ड के सभी डीलर को JSFC गोदाम से गेहूँ dispatch की entry की गई है, जो चालान में अंकित data के विरूद्ध है।
7. केवल मरगोमुण्डा ही नहीं पूरे जिला के डीलरों के विरूद्ध NFSA के दिसम्बर, 2022 के लिए गेहूँ dispatch की online entry आहार पोर्टल में कर दी गई है, जबकि वास्तविक रूप से काफी कम डीलर को दिसम्बर, 2022 के NFSA मद में गेहूँ उपलब्ध कराया गया था।
8. परिवादी के गेहूँ dispatch के षडयंत्रपूर्वक online entry के आरोप की पुष्टि होती है। देवघर जिला के JSFC के कर्मियों एवं पदाधिकारियों द्वारा जिले के डीलरों को NFSA दिसम्बर, 2022 के गेहूँ के dispatch का फर्जी online entry कर 7696 क्वींटल गेहूँ की कालाबाजारी की गई है।
9. प्रासंगिक पत्र द्वारा परिवाद–पत्र विभाग को कार्रवाई हेतु भेजा गया था। राज्य के गरीब जनता के अनाज के लूट की इस प्रकार के प्रमाणित आरोप पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं होना खेदपूर्ण है एवं परिवादी के इस आरोप को पुष्ट करता है कि बार–बार आवेदन देने के बाद भी कार्रवाई नहीं होती है।

स्पष्ट रूप से काफी मात्रा में गेहूँ की कालाबाजारी कर जिले के 50% से अधिक लाभुकों को दिसम्बर, 2022 के NFSA के गेहूँ से महरूम किया गया। इस अनियमितता के स्तर को देखते हुए मामले की निगरानी विभाग से जाँच कराया जाना आवश्यक प्रतीत होता है। अतः मामले की उच्च स्तरीय जाँच कराकर कानूनी कार्रवाई किया जाए। साथ ही 7696 क्वींटल गेहूँ के कालाबाजारी के कारण जितने लाभुकों को उनकी अहर्त्ता के अनुरूप गेहूँ नहीं मिला है, उन्हें मुआवजा का भुगतान कराया जाए।

अनुलग्नकः– DSO का पत्रांक–908 दिनांक–15.04.2023

विश्वासभाजन

24/05/2023

(हिमांशु शेखर चौधरी)
अध्यक्ष,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

E:\Ziyaul\Member Secretary new\letters.docx134

पता–झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड के पुराने भवन का द्वितीय तल, हरमू हाउसिंग कॉलोनी, राँची–834002
email-jharfoodcommission@gmail.com, Ph. No:-06512252267/2252261
Website:-www.jharkhandsfc.in

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, देवघर

(जिला आपूर्ति शाखा) dso-deoghar@nic.in

पत्रांक– **908** /आ0,

प्रेषक,

जिला आपूर्ति पदाधिकारी,
देवघर।

सेवा में,

अवर सचिव,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग,
झारखण्ड, राँची।

दिनांक :– **15** वीं अप्रैल, 2023 ई०।

विषय :– माननीय अध्यक्ष, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची द्वारा वाद संख्या–08/2023 में दिनांक–22.03.2023 को दिये गये निर्देश का अनुपालन प्रतिवेदन का प्रेषण।

महाशय

उपरोक्त विषय के संदर्भ में प्रतिवेदित करना है कि दिसंबर 2022 (NFSA) मद अंर्तगत देवघर जिला को कुल खाद्यान्न (चावल+गेहूँ)–60712.89 क्वींटल की आवश्यकता थी, परंतु FCI के द्वारा अपने RO में देवघर जिला को कुल खाद्यान्न (चावल+गेहूँ)–53016.12 क्वींटल दिया गया [RO की प्रति संलग्न (पृष्ठ सं0–01 से 10)]। संबंधित RO में PEG मधुपुर से 4041 क्वींटल गेहूँ तथा FSD जसीडीह से 3655.7684 क्वींटल गेहूँ की कटौती मंडल प्रबंधक FCI के पत्रांक– FCI/DO/DEOGHAR/COMM/NFSA RELEASE ORDER 2018–19, दिनांक–12.10.2022 द्वारा करते हुए RO निर्गत किया गया [पत्र की प्रति संलग्न (पृष्ठ सं0–11 एवं 12)], जिस कारणवश देवघर जिला को कुल खाद्यान्न (चावल+गेहूँ) 60712.89 क्वींटल के एवज में खाद्यान्न (चावल+गेहूँ)–53016.12 क्वींटल प्राप्त हुआ।

PEG मधुपुर के लिए FCI द्वारा निर्गत RO के आधार पर जिला आपूर्ति पदाधिकारी–सह–जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, देवघर के पत्रांक–21, दिनांक–16.11.2022 (FSD जसीडीह) तथा पत्रांक–22, दिनांक–16.11.2022 (PEG मधुपूर) द्वारा RO का विभाजन किया गया [प्रति संलग्न (पृष्ठ सं0–13 एवं 14)]। उक्त RO विभाजन के आलोक में मारगोमुण्डा प्रखंड हेतु कुल खाद्यन्न PHH (R)– 3116.12 क्वींटल, AAY (R)–190.96 क्वींटल, AAY (W)–00.00 क्वींटल, PHH (W)–200.00 क्वींटल कुल खाद्यान्न (चावल+गेहूँ)–3507.08 क्वींटल का उठाव आदेश दिया गया।

सहायक गोदाम प्रबंधक, मारगोमुण्डा द्वारा दिसम्बर, 2022 NFSA के तहत कुल–3305.08 क्वींटल चावल तथा 200 क्वींटल गेहूँ FCI से प्राप्त कर JSFC गोदाम मारगोमुण्डा में डिपो रिसिव किया गया [प्रति संलग्न (पृष्ठ सं0–15 से 17)]। उक्त प्राप्त खाद्यान्न के आलोक में सहायक गोदाम प्रबंधक, मारगोमुण्डा द्वारा DSD द्वारा मारगोमुण्डा के कुल–61 जन वितरण प्रणाली दुकानों तक डोर स्टेप डिलीवरी अभिकर्त्ता द्वारा खाद्यान्न चावल–3307.08 क्वींटल तथा गेहूँ–200 क्वींटल (कुल–3507.08 क्वींटल) जन वितरण प्रणाली

विक्रेता तक भेजा गया [चालान की प्रति संलग्न (पृष्ठ सं0–20 से 66)]। सहायक गोदाम प्रबंधक, मारगोमुण्डा द्वारा प्रतिवेदित है कि सभी 61 डिलरों को चावल तथा मात्र 13 डिलरों को गेहूँ उपलब्ध काराया गया। FCI द्वारा गेहूँ में कटौती होने के कारण शेष 48 डिलरों को गेहूँ नहीं भेजा गया है [सहायक गोदाम प्रबंधक का प्रतिवेदन (पृष्ठ सं0–18 / 19संलग्न)]। परन्तु तकनीकि कारणों से DSD प्रदर्शित हो रहा है जिसकी सुधार हेतु इस कार्यालय के पत्रांक–620, दिनांक–10.03.2023 तथा पत्रांक–727, दिनांक–18.03.2023 द्वारा निदेशक, खाद्य एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय, राँची को पत्र भेजा गया है। जिसपर निदेशालय द्वारा अग्रेतर कारवाई की जा रही है।[प्रति संलग्न (पृष्ठ सं0–67 से 71)]

उक्त कारणों के कारण परिवादी सं0–02, मो0 एकलाख अंसारी को सिर्फ चावल उपलब्ध काराया गया है। गेहूँ उपलब्ध नहीं कराया गया है [चालान की प्रति संलग्न (पृष्ठ सं0–72)]। परिवादी सं–01, यासिन अंसारी को दिसम्बर 2022 NFSA का संपूर्ण खाद्यान्न चावल एवं गेहूँ दोनों उपलब्ध कराया गया है [चालान की प्रति संलग्न (पृष्ठ सं0–73)]। शेष परिवादी सं0–03,04,05 एवं 06 मारगोमुण्डा प्रखण्ड अन्तर्गत जन वितरण प्रणाली विक्रेता नहीं है तथा दोनों परिवादी द्वारा उपलब्ध कराये गये खाद्यान्न का वितरण किया गया [जन वितरण प्रणाली विक्रेता की सूची एवं वितरण संलग्न (पृष्ठ सं0–74 एवं 75)]।

पुनः दिसम्बर, 2022 PMGKAY मद अन्तर्गत देवघर जिला को कुल खाद्यान्न (चावल+गेहूँ)–56044.46 क्वींटल की आवश्यकता थी तथा FCI के द्वारा देवघर जिला को कुल खाद्यन्न (चावल+गेहूँ)–56044.46 क्वींटल का RO निर्गत किया गया [प्रति संलग्न (पृष्ठ सं0–76 से 85)]। उक्त RO के आलोक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी–सह–जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, देवघर के पत्रांक–44, दिनांक–09.12.2022 द्वारा मारगोमुण्डा प्रखण्ड हेतु खाद्यान्न उठाव हेतु आदेश निर्गत किया गया [प्रति संलग्न (पृष्ठ सं0–87)]। उक्त आदेश के आलोक में मारगोमुण्डा प्रखण्ड को FCI द्वारा कुल खाद्यान्न (चावल+गेहुँ) 3917.63 क्वींटल उपलब्ध कराया जाना था। दिसम्बर PMGKAY के FCI खाद्यान्न के उठाव की अंतिम तिथि–31.12.2022 थी। FCI में चावल उपलब्ध नहीं होने के कारण झारखण्ड राज्य के अन्य 11 जिलों के साथ–साथ देवघर जिला में भी कुल–14554.51 क्वींटल खाद्यान्न (चावल) व्ययगत् हुआ [प्रति संलग्न (पृष्ठ सं0–88 एवं 89)]। मारगोमुण्डा को FCI से प्राप्त खाद्यान्न–2452.506 क्वींटल चावल तथा 903.35 क्वींटल गेहूँ (कुल चावल+गेहूँ–3355.856) को सहायक गोदाम प्रबंधक, मारगोमुण्डा द्वारा डिपो रिसिव किया गया [प्रति संलग्न (पृष्ठ सं0–90 से 93)]। उक्त प्राप्त खाद्यान्न के आलोक में सहायक गोदाम प्रबंधक द्वारा डोर स्टेप डिलिवरी अभिकर्त्ता के माध्यम से कुल–61 जन वितरण प्रणाली विक्रेता में से 49 विक्रेताओं को चावल तथा 50 विक्रेता को गेहूँ उपलब्ध कराया गया [चालान की प्रति एवं सहायक गोदाम प्रबंधक का प्रतिवेदन संलग्न (पृष्ठ सं0–94 से 134)]। खाद्यान्न नहीं रहने के कारण शेष विक्रेता को खाद्यान्न उपलब्ध नहीं कराया जा सका ।

उक्त कारणों के कारण परिवादी सं0–02, मो0 एकलाख अंसारी को दिसम्बर PMGKAY का पूर्ण खाद्यान्न भेजा गया [चालान की प्रति संलग्न (पृष्ठ सं0–132)], परन्तु परिवादी सं0–01 PMGKAY दिसम्बर, 2022 का यासिन अंसारी को खाद्यान्न उपलब्ध नहीं कराया गया है। शेष परिवादी सं0–03,04,05 एवं 06 मारगोमुण्डा प्रखण्ड अन्तर्गत जन वितरण प्रणाली विक्रेता नहीं है [Online वितरण/डीलर सूची संलग्न(पृष्ठ सं0–133 एवं 134)]।

पुनः जनवरी 2023 PMGKAY तथा NFSA मद के खाद्यान्न प्राप्ति एवं वितरण के संबंध में कहना है कि भारत सरकार द्वारा जनवरी, 2023 से PMGKAY को बन्द कर दिया गया है तथा जनवरी 2023 NFSA का खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया है। जनवरी 2023 NFSA मद में मारगोमुण्डा प्रखण्ड को कुल खाद्यान्न (चावल+गेहूँ–3867.86 क्वींटल) FCI से उपलब्ध कराया गया [प्रति संलग्न(पृष्ठ सं0–136 से 147)], जिसके आलोक में मारगोमुण्डा प्रखण्ड के सहायक गोदाम प्रबंधक JSFC गोदाम मारगोमुण्डा में कुल–4047.55 क्वींटल खाद्यान्न डिपो रिसीव किया गया [प्रति संलग्न (पृष्ठ सं0–148 से 151)], तथा सभी 61 जन वितरण प्रणाली विक्रेता को खाद्यान्न उपलब्ध कराते हुए वितरण किया गया [चालान की प्रति संलग्न (पृष्ठ सं0–152 से 193)], जनवरी 2023 NFSA मद में मारगोमुण्डा प्रखण्ड में कुल वितरण 97.05% हैं [जन वितरण प्रणाली विक्रेतावार वितरण की प्रति संलग्न (पृष्ठ सं0–194 एवं 195)]।

अतः दिसम्बर 2022 NFSA मद में FCI द्वारा गेहूँ में कुल–7696.7684 क्वींटल कटौती किये जाने तथा दिसम्बर 2022 PMGKAY मद में FCI में कुल–14554.51 क्वींटल चावल नहीं रहने तथा व्ययगत् होने के कारण शत् प्रतिशत जन वितरण प्रणाली विक्रेता को खाद्यान्न उपलब्ध नहीं कराया जा सका है संबंधित साक्ष्य/प्रतिवेदन इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजी जाती है।

कृपया प्राप्ति स्वीकार की जाय।

<u>अनु0–यथोक्त(पृष्ठ सं0–01 से 195)।</u>

विश्वासभाजन,

15/4/23

जिला आपूर्ति पदाधिकारी
देवघर।

(1)

E-Mail :- jsfcmonitoring@gmail.com

झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड

JSFC भवन, कडरु मेन रोड, रांची–834002।

खाद्यान्न आवंटन–आदेश

Revised NFSA
दिसंबर'2022

विषय :– राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभुकों को माह दिसंबर, 2022 के लिए खाद्यान्न (चावल एवं गेहूँ) वितरण करने हेतु संशोधित जिलावार खाद्यान्न आवंटन के संबंध में।

सचिव, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, रांची के पत्रांक 1429 दिनांक 25.05.2022 द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत् मासिक खाद्यान्न आवंटनादेश निर्गत करने का निदेश प्राप्त है।

2. विभागीय निदेश के आलोक में RO तथा SIO के अंतर के कारण आहार पोर्टल पर वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु परिलक्षित आंकड़ों, (SIO से संबंधित आंकड़ा NIC से प्राप्त है) के आधार पर RO तथा SIO के अंतर के कारण खाद्यान्न की कमी/अधिकता का समायोजन माह जुलाई'2022 तथा आगामी माहों में किया जा रहा है। माह दिसंबर'2022 में सामंजित खाद्यान्न से संबंधित विवरणी परिशिष्ट–01 के रूप में संलग्न है।

3. अपर सचिव, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड के पत्रांक 2121, दिनांक 19.08.2021 द्वारा दिये गये निदेश के आलोक में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभुकों की Freezed संख्या के आधार पर Aahar Portal पर प्रदर्शित माह दिसंबर'2022 के लिए उपलब्ध कराये गये वांछित खाद्यान्न की मात्रा (SIO Quantity) तथा वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु RO तथा SIO के अंतर के कारण चावल की कमी का समायोजन के अनुसार निम्नलिखित जिलावार खाद्यान्न (चावल एवं गेहूँ) आवंटित किया जाता है :–

Sl. No.	District Name	Revised Alloted Quantity (in M.T.) For Dec'2022 (NFSA)				
		PHH RICE	AAY RICE	PHH WHEAT	AAY WHEAT	माह दिसंबर'2022 के लिए कुल खाद्यान्न
						7=3+4+5+6
1	2	3	4	5	6	
1	BOKARO	4841.549	591.808	1209.191	147.343	6789.891
2	CHATRA	2849.359	1038.465	712.106	251.463	4851.393
3	DEOGHAR	4440.744	421.106	1110.144	99.295	6071.289
4	DHANBAD	6644.950	879.815	1661.970	219.598	9406.333
5	DUMKA	3639.307	1362.515	908.295	270.473	6180.590
6	EAST SINGHBUM	5030.821	1356.477	1308.570	318.873	8014.741
7	GARHWA	4040.062	805.588	1008.643	143.108	5997.401
8	GIRIDIH	6906.766	1864.107	1724.463	463.897	10959.233
9	GODDA	3821.223	795.193	954.613	137.151	5708.180
10	GUMLA	2577.422	904.443	643.146	197.027	4322.038
11	HAZARIBAGH	4762.118	1467.011	1189.973	361.998	7781.100
12	JAMTARA	2501.405	499.534	625.240	115.087	3741.266
13	KHUNTI	2626.672	863.899	313.410	215.661	4019.642
14	KODERMA	1822.790	447.587	455.509	108.633	2834.519
15	LATEHAR	2373.400	420.457	592.683	72.332	3458.872
16	LOHARDAGA	1451.736	376.945	363.868	89.516	2282.065
17	PAKUR	2812.405	614.677	702.578	43.764	4173.424
18	PALAMU	6318.561	1239.882	1576.571	275.004	9410.018
19	RAMGARH	1974.597	535.079	493.478	131.494	3134.648
20	RANCHI	5417.641	2552.112	1373.719	640.536	9984.008
21	SAHEBGANJ	3066.102	1165.241	764.754	181.468	5177.565
22	SARAIKELA KHARSAWAN	2844.617	899.038	710.505	222.180	4676.340
23	SIMDEGA	1695.134	429.848	430.581	106.764	2662.327
24	WEST SINGHBHUM	3581.260	2650.403	893.764	660.716	7786.143

(2)

<table>
<tr><th rowspan="2">Sl. No.</th><th rowspan="2">District Name</th><th colspan="5">Revised Alloted Quantity (in M.T.) For Dec'2022 (NFSA)</th></tr>
<tr><th>PHH RICE</th><th>AAY RICE</th><th>PHH WHEAT</th><th>AAY WHEAT</th><th>माह दिसंबर'2022 के लिए कुल खाद्यान्न</th></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7=3+4+5+6</td></tr>
<tr><td colspan="2">Grand Total</td><td>88040.641</td><td>24181.230</td><td>21727.774</td><td>5473.381</td><td>139423.026</td></tr>
</table>

4. महाप्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम, रांची से अनुरोध है कि अपने स्तर से सभी मंडल प्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम को उपरोक्त विवरणी अनुसार संबंधित जिला के लिए आवंटित खाद्यान्न का विमुक्ति आदेश निर्गत करने हेतु निदेशित करना सुनिश्चित किया जाय।

5. सभी जिला प्रबंधक, झारखण्ड राज्य खाद्य निगम को निदेश दिया जाता है माह दिसंबर 2022 के लिए आवंटित खाद्यान्न का शत–प्रतिशत उठाव दिनांक 30.11.2022 के पूर्व ही सुनिश्चित कर लिया जाए। यदि ससमय खाद्यान्न का उठाव नहीं किये जाने के कारण योग्य लाभुक खाद्यान्न से वंचित रह जाते हैं तो संबंधित जिला प्रबंधक इसके लिए व्यक्तिगत रूप से दोषी माने जायेंगे। <u>यह भी सुनिश्चित किया जाय कि वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु RO तथा SIO के अंतर के कारण खाद्यान्न की कमी/अधिकता का समायोजन के कारण खाद्यान्न की कालाबाजारी न हो। इस हेतु निगम गोदामों का औचक निरीक्षण किया जाय।</u>

6. भारतीय खाद्य निगम से आवंटित खाद्यान्न के ससमय उठाव हेतु यह आवश्यक है कि निगम गोदामों से खाद्यान्न निर्गत (JSFC Godown से PDS Dealer तक परिवहन) कार्य तीव्र गति से हो ताकि निगम गोदामों में भण्डारण की समस्या न हो।

अतः सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी, झारखण्ड को निदेश दिया जाता है कि पी०डी०एस० डीलरों को तीव्र गति से खाद्यान्न पहुँचाने हेतु डोर स्टेप डिलिवरी परिवहन अभिकर्ताओं को निदेशित करेंगे। साथ ही इसका दैनिक समीक्षा भी सुनिश्चित किया जाए।

7. सभी जिला प्रबंधक, झारखण्ड राज्य खाद्य निगम, झारखण्ड को निदेश दिया जाता है कि राज्य खाद्य निगम को देय संचलन अनुदान से संबंधित विपत्र संबंधित जिला आपूर्ति पदाधिकारी को समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे।

8. सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी, झारखण्ड को निदेश दिया जाता है कि जिला प्रबंधक, द्वारा समर्पित राज्य खाद्य निगम को देय संचलन अनुदान से संबंधित विपत्र का भुगतान ससमय करना सुनिश्चित करेंगे।

9. सभी जिला प्रबंधक, झारखण्ड राज्य खाद्य निगम को निदेश दिया जाता है कि भारतीय खाद्य निगम से उठाव किये जा रहे खाद्यान्न का दैनिक प्रतिवेदन निगम मुख्यालय के ई–मेल–jsfcmonitoring@gmail.com पर प्रतिदिन 10:30 बजे पूर्वाह्न तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

<u>10. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभुकों को माह दिसंबर, 2022 के लिए खाद्यान्न (चावल एवं गेहूँ) वितरण करने हेतु निगम मुख्यालय के खाद्यान्न आवंटनादेश ज्ञापांक 3940 दिनांक 30.09.2022 को निरस्त किया जाता है।</u>

अनुलग्नक–यथोक्त।

(यतीन्द्र प्रसाद)
प्रबंध निदेशक।

ज्ञापांकः–14/रा.खा.नि./वित्त–NFSA/30/22–3975 राँची, दिनांकः– 08/10/2022

प्रतिलिपि :– महाप्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम, रांची/सभी मंडल प्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी जिला प्रबंधक, झारखण्ड राज्य खाद्य निगम, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी उपायुक्त, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– श्रीमती शिवानी कोड़ाह, वरीय तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी., धुर्वा, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– निदेशक, खाद्य एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सचिव, खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड को सूचनार्थ समर्पित।

प्रबंध निदेशक।